महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की 16वीं बैठक

कार्यवृत्त

28 अप्रैल, 2011
(सुबह 11:00 बजे)

सभा-कक्ष
भाषा-विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

विद्या-परिषद् की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

28 अप्रैल, 2011

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	02
2	विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक के अनुपालन में की गई कार्रवाई	02
3	प्रो. ब्रिजेन्द्र नारायण सिन्हा (मुजफ़्फ़रपुर), प्रो. शंभूनाथ (कोलकाता), प्रो. अम्बा कुलकर्णी (हैदराबाद) एवं प्रो. तुलसीराम (दिल्ली) का विद्या-परिषद् में बाह्य सदस्य के रूप में नामांकन की कार्योत्तर स्वीकृति	02
4	*मॉरीशस में नारी सशक्तिकरण : स्वरूप एवं संभावनाएँ* विषय पर अनुसंधान करने हेतु श्रीमती रश्मि लालबिहारी (मॉरीशस) द्वारा अनुरोध	02
5	श्री अजय कुमार (एम.ए.जनसंचार, तृतीय छमाही) तथा सुश्री अनिता गुप्ता (एम.ए. नाट्यकला एवं फ़िल्म अध्ययन, प्रथम छमाही) को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियिम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने की अनुमति।	03
6	अकादमिक कैलेण्डर 2010-11 में संशोधन को कार्योत्तर स्वीकृति	03
7	श्री कन्हैया त्रिपाठी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन	03
8	'दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र' के अंतर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने के संबंध में प्रो. लेला कारूण्यकरा का प्रस्ताव	04
9	पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 की समीक्षा के संबंध में प्रो. लेला कारूण्यकारा का प्रस्ताव	4-5
10	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन	05
11	विद्या-परिषद् के छात्र प्रतिनिधि सदस्य श्री बच्चा बाबू एवं सुश्री सलाम अमित्रा देवी से अकादमिक गुणवत्ता हेतु प्राप्त सुझाव	5-6
12	'भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी' से संबधित विषय पर भाषा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव	07
13	भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र के अन्तर्गत सत्र 2012-13 से प्रस्तावित चीनी एवं स्पेनिश भाषा में एम.ए. पाठ्यक्रम आरंभ करने का अनुमोदन	07
14	एम.ए.पाठ्यक्रम (सत्र 2010-11) में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को दिए गए प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति	7-8
15	सुश्री सुषमा को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन	08
16	साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	09
17	महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र के अध्ययन बोर्ड की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	09
18	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	09
	*** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ***	
19	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड एवं अध्ययन मंडल की दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	09

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की 16वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 28 अप्रैल, 2011 को सुबह 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	श्री विभूति नारायण राय	:	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. ए. अरविंदाक्षन	:	प्रतिकुलपति एवं सदस्य
3.	प्रो. मनोज कुमार	:	सदस्य
4.	प्रो. उमाशंकर उपाध्याय	:	सदस्य
5.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य
6.	प्रो. इलीना सेन	:	सदस्या
7.	प्रो. महेंद्र कुमार सी. पाण्डेय	:	सदस्य
8.	प्रो. अनिल कुमार राय	:	सदस्य
9.	प्रो. रवि चतुर्वेदी	:	सदस्य
10.	डॉ. सी. अन्नपूर्णा	:	सदस्या
11.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	:	सदस्य
12.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	:	सदस्य
13.	प्रो. संतोष कुमार भदौरिया	:	सदस्य
14.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	:	सदस्य
15.	डॉ. कृपाशंकर चौबे	:	सदस्य
16.	डॉ. प्रीति सागर	:	सदस्या
17.	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय	:	सदस्य
18.	डॉ. फरहद मलिक	:	सदस्य
19.	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी	:	सदस्य
20.	डॉ. एच.ए. हुनगुंद	:	सदस्य
21.	डॉ. उमेश कुमार सिंह	:	सदस्य
22.	डॉ. अनिल कुमार दुबे	:	सदस्य
23.	श्री आनंद मण्डित मलयज	:	सदस्य
24.	प्रो. ब्रिजेंद्र नारायण सिन्हा	:	सदस्य
25.	प्रो. तुलसी राम	:	सदस्य
26.	प्रो. शंभुनाथ	:	सदस्य
27.	प्रो. अंबा कुलकर्णी	:	सदस्य
28.	श्री बच्चा बाबू	:	सदस्य
29.	सुश्री सलाम अमित्रा देवी		सदस्या
30.	डॉ. कैलाश खामरे	:	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद संख्या : 01

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 10 मई, 2010 को कुलपति की अध्यक्षता में कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। उपुर्यक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(संलग्नः विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त)**

कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या : 02

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्रवाई

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 10 मई, 2010 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गई कार्रवाई माननीय विद्या-परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

की गई कार्यवाही का अवलोकन कर सहमति व्यक्त की गई।

मद संख्या : 03

प्रो. ब्रिजेन्द्र नारायण सिन्हा (मुजफ़्फ़रपुर), प्रो. शंभूनाथ (कोलकाता), प्रो. अंबा कुलकर्णी (हैदराबाद) एवं प्रो.तुलसीराम (दिल्ली) का विद्या-परिषद् में बाह्य सदस्य के रूप में नामांकन की कार्योत्तर स्वीकृति

विश्वविद्यालय परिनियम 14 के अन्तर्गत वर्तमान विद्या-परिषद् का गठन अधिसूचना क्रमांक 003/वि.प.ग./59 (2)/21 दिनांक 18 जनवरी, 2011 के माध्यम से किया गया है। उक्त परिनियम14(J) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सेवा से बाहर के चार विशेषज्ञों को विद्या-परिषद् द्वारा नामित किया जाता है।

उक्त विषय पर विद्या-परिषद् की पिछली बैठक (15वीं बैठक दिनांक 10 मई, 2010) में इसपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाई थी अतः आवश्यकता को देखते हुए माननीय कुलपति (अध्यक्ष, विद्या-परिषद्) द्वारा उक्त चार नामों को विश्वविद्यालय परिनियम 14(J) के अन्तर्गत विद्या-परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में नामित किया। **अनुलग्नक**-: जारी अधिसूचना (पृ. क्र.13) विद्या-परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से परिचय प्राप्त कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या : 04

'मॉरीशस में नारी सशक्तिकरण : स्वरूप एवं संभावनाएँ' **विषय पर शोध करने हेतु श्रीमती रश्मि लालबिहारी (मॉरीशस) द्वारा अनुरोध**

मॉरीशस के महात्मा गांधी संस्थान में व्याख्याता पद पर कार्यरत् श्रीमती रश्मि लालबिहारी द्वारा 'मॉरीशस में नारी सशक्तिकरण : स्वरूप एवं संभावनाएँ' विषय पर इस विश्वविद्यालय से शोध करने की इच्छा व्यक्त करते हुए माननीय कुलपति को एक प्रार्थना-पत्र सौंपा गया। माननीय कुलपति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वागत योग्य बताते हुए विद्या परिषद में इसे स्वीकृति हेतु रखने का निर्देश दिया गया। अनुलग्नक-: श्रीमती रश्मि लाल बिहारी का आवेदन (पृ. क्र.14-17) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शोध के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद संख्या : 05

श्री अजय कुमार (एम.ए.जनसंचार, तृतीय छमाही) तथा सुश्री अनिता गुप्ता (एम.ए.नाट्यकला एवं फ़िल्म अध्ययन, प्रथम छमाही) को माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियिम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने की अनुमति

श्री अजय कुमार, एम.ए. जनसंचार (तृतीय छमाही) एवं सुश्री अनिता गुप्ता, एम.ए. नाट्यकला एवं फ़िल्म अध्ययन (प्रथम छमाही) की अस्वस्थता के कारण कक्षा में निर्धारित उपस्थिति 75% से कम थी। इनके आवेदन के आलोक में माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 12(3) के अंतर्गत विद्या-परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। अनुलग्नक-: (पृ. क्र.18-21) विद्या-परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या : 06

अकादमिक कैलेण्डर 2010-11 में संशोधन को कार्योत्तर स्वीकृति

कुलपति की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की दिनांक 20 सितम्बर, 2010 को सम्पन्न बैठक में अकादमिक कैलेण्डर 2010-11 में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए। अनुलग्नक-: अकादमिक कैलेण्डर (पृ. क्र. 22-23) विद्या-परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए एम.फिल. और पी-एच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए 16 मई, 2011 तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा तथा एम.ए. स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मई, 2011 करने का निर्णय लिया।

मद संख्या : 07

श्री कन्हैया त्रिपाठी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग में डॉ. धूपनाथ प्रसाद, सहायक प्रोफेसर के निर्देशन में श्री कन्हैया त्रिपाठी की पी-एच.डी. (प्रवेश/पंजीयन तिथि 21.02.2008 नामांकन संख्याः म.गां.अ.हि.वि.वि. /पी-एच.डी./47) की खुली मौखिकी दिनांक 18.01.2011 को बाह्य विषय विशेषज्ञ प्रो. ए.पी.चौहान, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की उपस्थिति में हुई। ***बाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा पी-एच.डी. शोधप्रबंध के मूल्यांकन एवं मौखिकी के उपरांत श्री कन्हैया त्रिपाठी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।***

उक्त प्रकरण को कुलपति की अध्यक्षता में अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की दिनांक 22 फरवरी, 2011 को सम्पन्न बैठक में रखा गया जिसे समिति द्वारा शोधप्रबंध की संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। **अनुलग्नक**-: (पृ. क्र. 24-27) श्री कन्हैया त्रिपाठी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी।

मद संख्या : 08

'दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र' के अंतर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने के संबंध में प्रो. लेला कारूण्यकरा का प्रस्ताव

विद्या-परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 10 मई, 2010 के मद संख्या 11 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि 'दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र' के अंतर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में सीटों की अधिकतम संख्या 06 निर्धारित *(जिसे माननीय कुलपति वि.अ.आ.(एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के आलोक में 05 किया गया)* की तथा **आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने का निर्णय लिया।**

निदेशक, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र से प्राप्त संलग्न पत्र के अनुसार उक्त योजना को सत्र 2010-11 से लागू किया गया लेकिन निम्न कारणों से उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई :-

क) शैक्षणिक/शोध संबंधी कार्य की अधिकता के कारण एक विभाग के शिक्षक दूसरे विभाग में अध्यापन में रूची नहीं लेते हैं।

ख) चूंकि विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों को दूसरे विभाग में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है अतः वे दूसरे विभाग में समय देने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते।

ग) विश्वविद्यालय में समाजविज्ञान विभाग नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों में विशेषज्ञता की कमी है।

ऐसी स्थिति में प्रोफेसर/निदेशक, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र को सत्र 2010-11 में एम.फिल. की सभी कक्षाएँ स्वयं लेनी पड़ी।

विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनिर्दिष्ट अनुदान मद में राशि प्राप्त होती है जिससे केन्द्र/विभाग में विशेष स्थिति में अतिथि-अध्यापकों से अध्यापन कार्य भी कराया जा सकता है। चूंकि डॉ. बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र में मात्र एक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई अतः ऐसी स्थिति में उक्त केंद्र में अतिथि-अध्यापकों की सेवा लेना अनिवार्य है।

उक्त कारणों से प्रोफेसर/निदेशक, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र ने माननीय विद्या-परिषद् से 15वीं बैठक में आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु आग्रह किया है तथा केंद्र में अतिथि-अध्यापकों की सेवा लेने हेतु अनुमति मांगी है। **अनुलग्नक**-: प्रो. लेला कारूण्यकरा का पत्र (पृ. क्र.28) विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के शिक्षकों से सहयोग हेतु लिखित में निवेदन किया जाय तथा तद्नुसार स्थिति से कुलपति को अवगत कराएँ।

मद संख्या : 09

पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 की समीक्षा के संबंध में प्रो. लेला कारूण्यकरा का प्रस्ताव

विद्या-परिषद् (15वीं बैठक) के निर्देशानुसार पी-एच.डी.अध्यादेश 45/2009 में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए। इस अकादमिक वर्ष (2010-11) में पी-एच.डी. में प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में कार्य की तात्कालिकता के मद्देनज़र कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम 12 (3) के तहत कार्य-परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में सशोधित अध्यादेश क्रमाक 45 को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसे कार्य-परिषद् की 40वीं बैठक दिनांक 24 अक्तूबर, 2010 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसे लागू किया गया।

प्रो. लेला कारूण्यकरा, प्रोफेसर/निदेशक, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र ने अपने पत्र दिनांक 18.04.2011 के माध्यम से निम्न कारणों से इसकी समीक्षा की मांग की है-

The said Ordinance of MGAHV is not accordance with the Regulation no. 12 of the UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulation, 2009, it may be reviewed.

According to regulation no 12, "the allocation of the Supervisor for the selected students shall be decided by the department....". In another words, Department Research Committee (DRC), chaired by HOD. With regard to research courses, involvement of DRC is the well established academic practice in every Central University. But in MGAHV, very unfortunately DRC is totally abolished.

The Ordinance no. 45 (4.1) OF mgahv states, "the Research Degree Committee (RDC) shall appoint a supervisor." This is certainly not the acceptable practice in any Central University. As it is the practice in every Central University that Research Degree Committee chaired by Vice-Chancellor is a University level Committee to make general supervision for the award of research degree. Unfortunately, in MGAHV, DRC is totally removed from the process of the research degree and replaced by RDC. Very interestingly, Supervisor is not at all a member of RDC. Another most un academic features of RDC is that minutes of RDC meeting chaired by Vice-Chancellor has to go to School Board chired by Dean of a School as School Board is higher body than the RDC. In the said Ordinance, there is no mention of the duties of School Board and Board of Studies with regard to their role in the process of research degree. All these discrepancies need to be removed. **अनुलग्नक-:** प्रो. लेला कारूण्यकरा का पत्र/ प्रस्ताव (पृ. क्र.29) माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगूलेशंस, 2009 के अनुसरण में विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश को कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। अतः उसी को फिलहाल अपनाया जाएगा। इस पर पुनर्विचार के लिए कुलपति एक अन्य समिति नामित करेंगे तथा समिति से प्राप्त प्रारूप को सभी विभागों के अध्यक्षों को भेजा जाएगा।

मद संख्या : 10

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। **(परिशिष्ट-02)**

कार्यवृत्त को अनुमोदित किया।

मद संख्या : 11

विद्या-परिषद् के छात्र प्रतिनिधि सदस्य श्री बच्चा बाबू एवं सुश्री सलाम अमित्रा देवी से अकादमिक गुणवत्ता हेतु प्राप्त सुझाव

विश्वविद्यालय के समस्त शोधार्थियों, छात्र-छात्राओं द्वारा अकादमिक गुणवत्ता हेतु निम्न सुझाव छात्र प्रतिनिधियों के माध्यम से विद्या-परिषद् के समक्ष प्राप्त सुझावों के संदर्भ में विचार-विमर्श उपरांत लिए गए निर्णय क्रमानुसार इस प्रकार हैं :

क्रं. सं.	प्राप्त प्रस्ताव	प्रस्ताव पर लिया गया निर्णय
	शोधपरक योगदान हेतु समर्पित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से ISSN पंजीयन युक्त उच्च मानकता प्राप्त शोध-जर्नल (छमाही) प्रकाशित किया जाए। शोध पत्रों में गुणवत्ता मापदंड निर्धारण हेतु अंतरानुशासनिक प्रकृति के विषय विशेषज्ञों का चयन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर एक समिति बनाई जाए।	**विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यापीठ द्वारा अपना-अपना वार्षिक शोध-जर्नल निकालने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।**

2	पी–एच.डी. शोध छात्रों की पूर्णकालिक उपस्थिति का लाभ शोधपरक कार्यों में हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लघु व वृहद परियोजना कार्यों को लिया जाए ताकि शोधार्थी अध्ययन के साथ–ही–साथ आय व अनुभव भी अर्जित करें।	**सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।**
3	विश्वविद्यालय में Placement Cell का गठन किया जाए, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के योग्यता अनुसार रोजगार की संभावनाओं की तलाश कर उसकी सूचना विद्यार्थियों को दे।	**संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण) के अधीन प्लेसमैंट सैल का गठन किया जाय।**
4	प्रत्येक अकादमिक वर्ष में होने वाले समस्त संगोष्ठी, कार्यशाला, संवाद की रूपरेखा सत्रारम्भ में ही की जाए तथा उसका विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला जाए।	**प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रत्येक वर्ष के नए सत्रारंभ से पूर्व अर्थात् 15 जून तक सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग की कार्ययोजना कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।**
5	विश्वविद्यालय में Intellectual property cell का गठन हो तथा मौलिक व उच्च्गुणवत्ता पूर्ण शोध कार्यों को पुरस्कृत किया जाए। ताकि शोधार्थी में अच्छे शोध के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक नजरिया बने।	**विद्यार्थी संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण) को प्लेसमैंट सैल के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करें।**
6	अकादमिक गुणवत्ता व पारदर्शिता लाने हेतु मूल्याँकन प्रणाली विकसित की जाए। इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा पाठ्यक्रमों एवं शिक्षकों का मूल्याँकन अनिवार्य हो, साथ ही शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय का मूल्याँकन भी अनिवार्य हो। इसके लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति की देख–रेख में सलाहकार समिति का गठन हो।	**विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**
7	व्यक्तित्व निर्माण व अकादमिक विस्तार हेतु प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियों में पत्र वाचन करने वाले शोधार्थियों एवं छात्रों को लघु अवधि भ्रमण अनुदान की व्यवस्था की जाए।	**विद्यार्थी शोध कार्यों हेतु प्राप्त होनेवाली कटेंजेंसी राशि का इस मद में भी सदुपयोग करें तथा यदि वह समाप्त हो जाती है तो उसका विवरण देते हुए प्रस्ताव कुलपति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।**
8	छात्रों में प्रतियोगिता व रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षा (I.A.S./P.S.C./S.S.C.) कोचिंग व्यवस्था हेतु यू.जी.सी. से आर्थिक सहायता ली जाए।	**इच्छुक छात्र से प्राप्त आवेदन के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है।**
9	यू.जी.सी. नियमानुसार विश्वविद्यालय में पी.डी.एफ. प्रारम्भ की जाए।	छात्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
10	अकादमिक स्तर वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय अध्यादेश अधिनियम के उपभाग 1(एम) के भाग–28 के अनुरूप खेल समिति का गठन किया जाए।	प्रशासनिक मामला है, विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष भेजा जाय।
11	विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अत्याधिक सूचना समृद्ध करते हुए समस्त शोधार्थियों का विवरण, शोध–निर्देशक एवं उनके शोध विषयों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर डाला जाए।	स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या : 12

'भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी' से संबधित विषय पर भाषा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव

भाषा विद्यापीठ के अन्तर्गत 'भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी' से संबधित विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विषय से संबंधित पत्र आमंत्रित कर उन्हें प्रकाशित कराने की योजना है। सभी शोधपत्र आधुनिक भाषाविज्ञान के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध होंगे। इस संगोष्ठी में 20 से 25 बाह्य विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। संगोष्ठी में भोजन, यात्रा-व्यय एवं अन्य मद में ₹5,00,000 (पाँच लाख) अनुमानित व्यय होगा। **अनुलग्नक**-: प्रस्ताव (पृ. क्र. 30-31) विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या : 13

भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र के अन्तर्गत सत्र 2012-13 से प्रस्तावित चीनी एवं स्पेनिश भाषा में एम.ए. पाठ्यक्रम आरंभ करने का अनुमोदन

भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र की योजना है कि सत्र 2012-13 से स्पेनिश और चीनी भाषा में एम.ए. पाठ्यक्रम प्रांरभ किया जाए जो विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2009 द्वारा अनुमोदित है। केंद्र में विगत कई वर्षों से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। अध्ययनरत् छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए यह पाठ्यक्रम शुरू करना उचित होगा। चीनी एवं स्पेनिश भाषा में एम.ए.पाठ्यक्रम हेतु फिलहाल 20-20 सीटें निर्धारित की जा सकती है।

उक्त पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु केंद्र का प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्थायी पद मिलने तक संलग्न सूची से प्राध्यापकों को अध्यापन हेतु (179 दिनों के लिए तदर्थ नियुक्ति/अतिथि प्राध्यापक के तौर पर) बुलाया जा सकता है। साथ ही विभागीय पुस्तालय हेतु आवश्यक किताबों की खरीद की अनुमति भी केंद्र द्वारा मांगी गई है। **अनुलग्नक**-: प्रस्ताव (पृ. क्र.32-34) विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एम.ए. पाठ्यक्रम को फ़िलहाल स्थगित रखने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया। डॉ. उमेश कुमार सिंह से प्राप्त इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया कि स्नातकोतर के साथ-साथ स्नातक/स्नातक-पूर्व *(undergraduate)* **स्तरीय पाठ्यक्रम भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए जाने पर विचार किया जा सकता है।**

मद संख्या : 14

एम.ए.पाठ्यक्रम (सत्र 2010-11) में प्रवेश हेतु निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को दिए गए प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति

सत्र 2010-11 में एम.ए.पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों की कम संख्या को देखते हुए कुलपति महोदय द्वारा विद्या-परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्धारित अर्हता से कम अंक प्राप्त निम्न विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है -

नाम/श्रेणी	पाठ्यक्रम/विषय	प्रवेश हेतु निर्धारित अंक	विद्यार्थियों का प्राप्तांक
मनीषा कांबले (अनु.जाति)	हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी	45%	42%
विजय करण (अनु.जाति)	हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी	45%	40%
वैशाली रा. थिगले (अ.पि.व.)	बौद्ध अध्ययन	50%	44%
धर्मपाल म. गोडघाटे (अनु.जाति)	दलित एंव जनजाति अध्ययन	45%	43%
सुनीता थापा (सामान्य)	नाट्यकला एवं फ़िल्म अध्ययन	50%	40%
मुहम्मद हुसेन (अ.पि.व.)	हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)	50%	46%
रवि प्रकाश मिश्र (सामान्य)	हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)	50%	42%
निता दत्तात्रय भारती (सामान्य)	जनसंचार	50%	49%
चितरंजन (अनु.जाति)	अहिंसा एवं शांति अध्ययन	45%	44%
सस्मिता जेना (अ.पि.व.)	अहिंसा एवं शांति अध्ययन	50%	47%
राकेश विश्वकर्मा (अ.पि.व.)	अहिंसा एवं शांति अध्ययन	50%	49%
मनमोहन मिश्र (सामान्य)	हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)	50%	48%
राकेश कुमार मिश्र (सामान्य)	हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)	50%	48%
अमर पी. ढोणे (अ.पि.व.)	हिंदी (अनुवाद प्रौद्योगिकी)	50%	47%
पिंकी यादव (सामान्य)	समाजकार्य	50%	47%
शबाना खातून (सामान्य)	समाजकार्य	50%	39%

कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या : 15 *(अनुपूरक कार्यसूची का मद संख्या : 02)*

सुश्री सुषमा को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन

भाषा प्रौद्योगिकी विभाग में डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, रीडर के निर्देशन में **'मुक्तिबोध की कृतियों में प्रत्यय प्रयोग (कहानियों के विशेष संदर्भ में)'** विषय पर सुश्री सुषमा की पी-एच.डी. (प्रवेश/पंजीयन तिथि 26.06.2007) की खुली मौखिकी दिनांक 22.12.2010 को बाह्य विषय विशेषज्ञ प्रो. रामप्रकाश सक्सेना, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर की उपस्थिति में हुई। बाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा पी-एच.डी. शोधप्रबंध के मूल्यांकन एवं मौखिकी के उपरांत सुश्री सुषमा को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

उक्त प्रकरण को कुलपति की अध्यक्षता में भाषा प्रौद्योगिकी विभाग की शोध उपाधि समिति की दिनांक 14 मार्च, 2011 को सम्पन्न बैठक में रखा गया जिसे समिति द्वारा शोधप्रबंध की संतोषजनक रिपोर्ट एवं मौखिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। **अनुलग्नक**-: (पृ. क्र. 02-06) सुश्री सुषमा को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी।

मद संख्या : 16 *(अनुपूरक कार्यसूची का मद संख्या : 02)*

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट-03)**

कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। प्रो. शंभुनाथ के इस प्रस्ताव कि - 'तुलनात्मक साहित्य' पाठ्यक्रम के स्थान पर 'हिंदी साहित्य' पाठ्यक्रम एवं उसके लिए रोजगार की अधिक संभावनाएँ हैं, इसलिए उसका नाम हिंदी साहित्य रखने पर विचार किया जाय पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद साहित्य विभाग के अंतर्गत वर्तमान अकादमिक वर्ष से ही दोनों विषयों - 'तुलनात्मक साहित्य' एवं 'हिंदी साहित्य' में पाठ्यक्रम संचालित किए जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या : 17 *(अनुपूरक कार्यसूची का मद संख्या : 03)*

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र के अध्ययन बोर्ड की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र के अध्ययन बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट-04)**

कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या : 18 *(अनुपूरक कार्यसूची का मद संख्या : 04)*

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड की बैठक दिनांक 25-26 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट-05)**

कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

* * *

मद संख्या : 19

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड एवं अध्ययन मंडल की दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

भाषा विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड एवं अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

(कैलाश खामरे)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद् एवं कुलसचिव
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)